फाइल सं. डीपी-**12/28/2021**-डीपी-**II**

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

****

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक: **29.10**.2021

नशीले दवा की मांग में कटौती करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) स्कीम के अंतर्गत जिला नशामुक्ति केन्द्र स्थापित करने के लिए पात्र संगठनों से अभिरूचि की अभिव्यक्ति एवं प्रस्ताव आमंत्रित करना।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग निम्नलिखित जिलों के लिए नशीले दवा की मांग में कटौती करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) स्कीम के अंतर्गत जिला नशामुक्ति केन्द्र स्थापित करने के लिए पात्र संगठनों से अभिरूचि की अभिव्यक्ति एवं प्रस्ताव आमंत्रित करता है:

क्र.सं.	**राज्य**	**जिला**
1.	असम	करीमगंज
2.	अरूणाचल प्रदेश	चांगलांग
3.		अपर सियांग
4.		तिरप
5.		लोहित
6.		नामसाई
7.	दमन और दीव	दमन
8.	दिल्ली	मध्य दिल्ली
9.	गुजरात	पोरबंदर
10.	हरियाणा	अंबाला
11.		कुरुक्षेत्र
12.	जम्मू और कश्मीर	कुलगाम
13.	झारखंड	सिमडेगा
14.	केरल	मल्लापुरम
15.	मध्य प्रदेश	नरसिंहपुर
16.		सतना
17.	नागालैण्ड	मोन
18.	राजस्थान	अजमेर
19.		अलवर
20.		बांसवाड़ा
21.		भीलवाड़ा

राजीव कुमार / RAJEEV K
अवर सचिव / Under Secr

22.		चित्तौड़गढ़
23.		चुरू
24.		झालवाड़
25.		झुंझुनूं
26.		पाली
27.		प्रतापगढ़
28.		राजसमंद
29.		सीकर
30.		उदयपुर
31.	उत्तर प्रदेश	आगरा
32.	उत्तराखंड	चमोली
33.	पश्चिम बंगाल	सिलीगुड़ी

जिला नशामुक्ति केन्द्र (डीडीएसी) की निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुसार स्थापना और संचालन किया जाएगा:-

1. प्रत्येक जिला मुख्यालय अथवा उपयुक्त सुगम्य स्थान पर विशेष रूप से एक जिला नशामुक्ति केन्द्र (डीडीएसी) होगा जहां जिला प्रशासन द्वारा किरायामुक्त स्थल प्रदान किया जाएगा। ये डीडीएसी अब तक आईआरसीए, ओडीआईसी और सीपीएलआई द्वारा कुल मिलाकर प्रदान की जा रही व्यापक सुविधाएं उपलब्ध कराएगें।

2. इन जिलों में सभी तीन मौजूदा सुविधाएं अर्थात् आईआरसीए, सीपीएलआई, ओडीआईसी होंगी और जिन्हें मंत्रालय द्वारा वित्तीय रूप से समर्थित किया जा रहा है, उन्हें एक छत के नीचे लाया जाएगा। एक ही जिले में मौजूदा आईआरसीए, सीपीएलआई और ओडीआईसी को जिला प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त किए जाने वाले डीडीएसी भवन में शिफ्ट किया जाएगा।

3. जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली समिति, जिसे नशामुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) के अंतर्गत गठित किया गया है, द्वारा डीडीएसी के कामकाज की निगरानी की जाएगी। इसके अतिरिक्त, जिलों के सेवानिवृत्त प्रख्यात व्यक्ति, कार्यकर्ता, कुलपति/विभागाध्यक्ष (एचओडी)/प्रधानाचार्या, शौधकर्ता, छात्र और अन्य व्यक्तियों को अध्यक्ष की सहायता के लिए समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। यह समिति केवल नीति संबंधी मुद्दों की निगरानी करेगी। कार्यान्वयन से संबंधित दैनिक कार्यों तथा अन्य कार्यकलापों की जिम्मेदारी संबंधित संगठन/एनजीओ की होगी जिसे डीडीएसी की स्थापना के लिए अनुमोदित किया जाएगा।

4. डीडीएसी की बैठक छः महीने में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी जिसमें एनएपीडीडीआर के अंतर्गत अनुमत्य विभिन्न कार्यकलापों के संबंध में डीडीएसी द्वारा किए जाने वाला व्यय अनुमोदित किया जाएगा। यह समिति डीडीएसी के कामकाज की भी समीक्षा करेगी और प्रभाविकता की दृष्टि से उसके कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करेगी तथा डीडीएसी के प्रबंधन को आगे सुझाव देगी।

5. एनजीओ/संगठन के नाम से डीडीएसी की निधियों को रखने के लिए एक पृथक (समर्थित

राजीव कुमार / RAJEE
अवर सचिव / Under S

खाता) भी खोला जाएगा। इस खाते को पीएफएमएस के साथ पंजीकृत किया जाएगा और उसे ईएटी मॉड्यूल के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।

6. डीडीएसी की स्थापना के लिए, उन जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनमें आईआरसीए, सीपीएलआई अथवा ओडीआईसी की कोई सुविधा नहीं है। इसके लिए जो संगठन/स्टार्ट-अप ड्रग्स के क्षेत्र में काम करने के इच्छुक होंगे, वे डीडीएसी के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होगें।

7. जिन युवाओं/पेशेवरों ने, भारत अथवा विदेश के किसी उत्कृष्ट सामाजिक संस्थान से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, के स्टार्ट-अप आवेदन के लिए पात्र होगें।

8. इच्छुक एनजीओ/स्टार्ट-अप/संगठन मंत्रालय के ई-अनुदान पोर्टल **(https://grants-msje.gov.in/ngo-login)** के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। मंत्रालय की परियोजना चयन समिति डीडीएसी की स्थापना और संचालन के लिए पात्र एनजीओ/स्टार्ट-अप का चयन करेगी और निधियां दो किश्तों में जारी करने की सिफारिश करेगी। तथापि, संगठन सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की तारीख से स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान प्राप्त करने के पात्र होगें।

9. यह विज्ञापन मंत्रिमंडल द्वारा एनएपीडीडीआर की संशोधित स्कीम के अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

10. **पात्र संगठन** : जो संगठन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समर्थित आईआरसीए अथवा राज्य सरकार द्वारा समर्थित नशामुक्ति केन्द्र/सरकारी अस्पताल अथवा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के अंतर्गत पंजीकृत कोई निजी नशामुक्ति केन्द्र चला रहे हैं, वे डीडीएसी के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगें। केवल वे संगठन जो किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रस्ताव आमंत्रित करने की तारीख से पिछले 2 वर्षों से अथवा उससे अधिक समय से आईआरसीए/नशामुक्ति केन्द्र पहले से ही संचालित कर रहे हैं, वे आवेदन कर सकते हैं। कोई सरकारी अस्पताल/युवा पेशेवरों द्वारा संचालित नए स्टार्ट-अप/स्थापना, जो गैर लाभप्रद स्वरूप के हैं, के लिए शर्तों में छूट भी दी जा सकती है।

डीडीएसी की भूमिका और दायित्व

डीडीएसी असुरक्षित व्यक्तियों अथवा नशीले पदार्थों का दुरूपयोग करने से प्रभावित व्यक्तियों के शीघ्र निवारण, शिक्षा, मांग में कटौती, पहचान, उपचार और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने पर मुख्यत: ध्यान केन्द्रित करेगें।

डीडीएसी निम्नलिखित कार्य करेगा:

क. असुरक्षित व्यक्तियों और प्रभावित समुदाय के बीच जागरूकता कार्यकमों के माध्यम से प्राथमिक निवारण कार्यकलाप संचालित करना।

ख. बच्चों/किशोरों/युवाओं के बीच नशीले पदार्थ के उपयोग के जोखिम को कम करने के लिए कार्य करना:

- नशीले पदार्थों के उपयोग को रोकना।
- नशीले पदार्थों के उपयोग में विलंब करना।

RAJEEV KUMAR
Under Secretary

- समुदाय में चयनित संगतपरक शिक्षकों की पहचान करना और प्रशिक्षित करना।
- प्रशिक्षित संगतपरक शिक्षकों की अगुवाई में शीघ्र निवारण शिक्षा को कार्यान्वित करना।
- समुदाय में नशीले पदार्थों पर निर्भर किशोरों की पहचान करके उन्हें परामर्श देना, उपचार करना और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए रेफरल और लिंकेज सेवाओं के बारे में जागरूकता प्रदत्त करना।
- नशीले पदार्थों के उपयोग से ग्रस्ति किशोरों और अन्य व्यक्तियों की पहचान करना और उन्हें पुनर्वास केन्द्रों/ड्राप-इन सेंटरों में रेफर करने/भर्ती करने के लिए सहायता प्रदान करना।
- सभी किस्म की सेवाएं प्रदान करना जिसमें इन पदार्थों पर निर्भर व्यक्तियों के पूर्ण स्वास्थ्य लाभ (डब्ल्यूपीआर) के लिए कौशल विकास सहित उपचार, देखभाल उपरांत और पुनर्वास सेवाएं शामिल हैं।
- किसी नशीले पदार्थ के अवैध उपयोग की पूर्ण समस्या को हल करने के लिए नशीली दवा की मांग में कटौती करने का प्रयास करना और मानवता के समग्र स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना।
- व्यक्तियों, परिवारों और समाज के बहुत बड़े वर्ग के बीच नशीले पदार्थ की निर्भरता के परिणामों को समाप्त करना।

11. प्रस्तावों को मंत्रालय के ई-अनुदान पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 30.11.2021 है।

****

राजीव कुमार / RAJEEV KUMAR
अवर सचिव / Under Secretary
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
Department of Social Justice & Empowerment
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
Ministry of Social Justice & Empowerment
भारत सरकार, नई दिल्ली
Government of India, New Delhi